

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1688] No. 1688] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

का.आ. 2320(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) भारत का उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, वेतनमान 90,000 रुपए (नियत) में, तारीख 1 जून, 2016 से प्रभावी पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 45011/20/2013-एडी.IV]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2016

S.O. 2320(E).—In exercise of powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby appoints Justice S. J. Mukhopadhaya, Judge (Retd.), Supreme Court of India as Chairperson, National Company Law Appellate Tribunal in the pay scale of Rs. 90,000/- (fixed) with effect from 1st June, 2016 for a period of five years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

[F. No. A-45011/20/2013-Ad. IV]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

3400 GI/2016 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

का.आ. 2321(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 466 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 408 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एम.एम. कुमार, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड को 1 जून, 2016 से प्रभावी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, एक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत पद पर किसी नियमित पदधारी द्वारा कार्यग्रहण करने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पूर्वत्तर हो, नियुक्त करती है

[फा. सं. 45011/20/2013-एडी.IV]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2016

S.O. 2321(E).—In exercise of powers conferred under section 408 read with sub section (1) of section 466 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby appoints Justice (Retd.), Shri M. M. Kumar, Chairman, Company Law Board as President, National Company Law Tribunal with effect from 1st June, 2016 as an *ad-interim* arrangement till joining of a regular incumbent to the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-45011/20/2013-Ad. IV]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.